सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 152/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :– 30.07.2024

GCMS ID–2024/251

1. गोपाल लाल आ0 जगन्नाथ जातियान बैरवा निवासी बहादुरपुरा, चेता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. गणेश लाल आ0 लाला उर्फ लालचन्द जातियान बैरवा निवासी बहादुरपुरा, चेता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. मुलचन्द आ0 लाला उर्फ लालचन्द जातियान बैरवा निवासी बहादुरपुरा, चेता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश आ0 पुरूषोत्तम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बासी थाना नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर

वकील अप्रार्थीगण :– श्री अनिल गुर्जर

दिनांक :– 16/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 61 के खसरा संख्या 210 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, खसरा संख्या 211 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 212 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 223 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 224 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा संख्या 225 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 227 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 237 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 238 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.3588 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादुरपुरा पटवार मण्डल चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, संयुक्त खातेदारी की भूमिया है, जिसका पारिवारिक बंटवारा हो रहा है। प्रत्येक आसामी अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा एक दूसरे में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 236

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

गे0मु0 रास्ता में होकर खसरा संख्या 232/1081 में से होकर 15 फिट चौडा रास्ते में आने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 237, 238, 239 एवं 236 तक सदियों से आते जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। दिसम्बर 2021 तक उक्त रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा संख्या 232/1079, 232/1080 व 233, 234, 235 की भूमिया 2020 में क्रय करने के उपरान्त खसरा संख्या 236 गेर0मु0रास्ता के बाद पूर्वी दिशा में भूमि खसरा संख्या 232/1081 पर होकर प्रार्थीगण के खेत में जाने वाले 15 फिट चौडे रास्ते को सकडा कर दिया तथा नवम्बर 2023 में तो अप्रार्थी संख्या 1 ने बदनियति पूर्वक रास्ते में सीमेन्ट के खम्बे रोपकर तारपेंसिंग कर दादागिरी के बल पर समुल रूप से बन्द कर दिया एवं प्रार्थीगण की पक्की गेहूँ की फसल को भी लाने नहीं दिया तब प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार साहब के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया उसके पश्चात ही फसल को लाने दिया। अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बदनियति आ गई तथा प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के 15 फीट चोडे रास्ते को सीमेन्ट के खम्बे गाडकर तारपेंसिंग कर अवरूद्ध कर दिया तथा सदियों पुराने रास्ते को हाक–जोत कर नष्ट कर मूल स्वरूप में परिवर्तन कर दिया, जिससे प्रार्थीगण के मवेशी, ट्रेक्टेर, ट्राली व पक्की फसल को लाने ले जाने में काफी परेशानी हो गई। अप्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं उसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से जानबूझकर रास्ते की भूमि को हडपने की नियति से रास्ते का समुल रूप से दादागिरी के बल पर हांक जोत कर नष्ट कर दिया तथा आने जाने के रास्ते पर तारपेसिंग कर बन्द दिया जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने रास्ता बहाली हेतु दिनांक 11.12.2023 को तहसीलदार साहब के यहा आवेदन किया तथा तहसील कर्मचारीयों से सम्पर्क किया तो बाद न्यायालय आदेश के रिकॉर्ड के रास्ता तरमीम व रास्ता बहाल करने को कहा इसलिए प्रार्थीगण के पास उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी विकल्प नहीं रहा है। प्रार्थीगण गरीब कृषक है, जो कृषि में कडी मेहनत कर उपज से अपने परविार का पालन पोषण करते है उक्त भूमि के सिवाय अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है। तथा अप्रार्थी शिक्षित ताकतवर एवं प्रभावशाली है, जो लडाई झगडा एवं अवैध कृत्य करने पर भरोसा करता है तथा प्रार्थीगण का रास्ता बन्द कर प्रार्थीगण के खेतों में नहीं आने जाने दे रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो प्रार्थीगण अपनी भूमियों से महरूम हो जावेगे, तथा आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ती अर्थ से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए उक्त आवेदन पत्र अन्दर अवधि श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थीगण को अपनी भूमियों पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 236 गे0मु0 रास्ता से पूर्व दिशा खसरा संख्या 232/1081 पर पूर्व पश्चिम 15 फिट चौडा रास्ता दिलाया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण को भूमि खसरा संख्या 232/1081 पर पूर्व पश्चिम 15 फिट चौडा रास्ता बाजार कीमत पर दिलाये जाने का आदेश फरमावे। तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते पर कब्जा कर अपनी भूमि मे मिला लिया है जिसके बाद प्रार्थीगण द्वारा बार–बार हमें परेशान करते है। हमारा किसी रास्ते पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 का अपनी भूमि खाता संख्या 22 पर ही कब्जा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/29 दिनांक :–22.01.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमियों खसरा संख्या 210, 211, 212, 213 वगै0 वाके ग्राम बहादुरपुरा पटवार मण्डल चेंता में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 232/1081 में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। प्रार्थीगण इस बाबत प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 232/1081 में से रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 237, 238 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्की सडक के लगवा है। ऐसी स्थित में प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीगण पक्की सडक खसरा संख्या 236 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से अपनी खातेदारी भूमियों में आते–जाते है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उनके खातेदारी भूमियों में आने जाने हेतु पूर्व में ही रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 236 उपलब्ध होने से व चाहे गये रास्ते आंत्यतिक आवश्यकता नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 16.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446